न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक 204–दो/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 16–10–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, छतरपुर के प्रकरण कमांक 9/अ6अ/12–13.

छन्नूलाल चौरसिया तनय श्री डरू चौरसिया
निवासी न्यू कॉलोनी, छतरपुर, जिला छतरपुर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 रज्जू तनय मुन्ना अहीर,
निवासी गल्ला मण्डी, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर
2 शेख दौलत खां पुत्र शेख हुसैन (मृत)
वैध वारिस नजरा खातून, निवासी छतरपुर, जिला छतरपुर म0 प्र0
3 मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री डी0 के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18.12.15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 204–दो/13 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, छतरपुर के प्रकरण कमांक 9/अ–6अ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 16–10–2012 के विरूद्ध संस्थित हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगराकार छन्नू ने गैर निगराकार कमांक 2 शेख दौलत से वाद भूमि खसरा नंबर 228/3 रकबा 6.24 हैक्टेयर ग्राम पलौठा, तहसील छतरपुर दिनांक 25–6–1968 को क्रय की, उसका नामांतरण वर्ष 90–91 की नामांतरण पंजी कमांक 14 में दिनांक 5–10–91 को दर्ज कराया, तथा अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) छतरपुर के प्रकरण कमांक 123/अ6अ/05–06 में पारित आदेश दिनांक 20–11–06 से उसका राजस्व अभिलेख में अमल कराया । इस आदेश के विरूद्ध गैर निगराकार कमांक 1 रज्जू ने अपर कलेक्टर, छतरपुर के समक्ष इस आधार पर अपील की कि वाद भूमि शासकीय भूमि है जिस पर छलपूर्वक अन्य व्यक्ति द्वारा नाम लिखवाया गया है, एवं वास्तविकता में उस पर अपीलार्थी रज्जू का कब्जा है । इसके प्रकाश में अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 9/अ 6 अ/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक से अपील ग्राह्य करके अभिलेख मंगाने का निर्णय लिया गया । इसके विरूद्ध केता छन्नू ने राजस्व मण्डल में यह निगरानी दायर की है ।

3/ मैने निगराकार एवं गैर निगराकार कमांक 1 के तर्क सुने एवं गैर निगराकार 3 शासन के लिखित तर्क भी विचार में लिए । गैर निगराकार कमांक 2 पूर्व से एक पक्षीय है।

निगराकार अधिवक्ता ने अपने तर्क में निगरानी मेमों के विभिन्न बिन्दुओं को दोहराया एवं निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया ।

गैर निगराकार कमांक 1 के अधिवक्ता ने भी उन्हीं बिन्दुओं की पुनरावृत्ति की जो उन्होंने अपर कलेक्टर के अपील मेमों में उठाए थे ।

गैर निगराकार कमांक 3 शासकीय अधिवक्ता ने वाद भूमि शासकीय होना बताते हुए अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने का निवेदन किया ।

4/ मैने प्रस्तुत तर्कों पर विचार कर अभिलेखों का परिशीलन किया । ऐसा करने पर मैं यह पाता हूँ कि अपर कलेक्टर का आक्षेपित आदेश दिनांक 16–10–12 एक अन्तरिम आदेश है । उनके द्वारा विलंब माफ किए जाने से या अभिलेख आहूत किए जाने से किसी भी पक्षकार का वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हो गया हो या होना संभावित हो

गया हो, ऐसा नहीं माना जा सकता । अभी समस्त हितबद्ध पक्षकारों को अपर कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर उपलब्ध है जिसका उपयोग वे कर सकते हैं । चूंकि अपर कलेक्टर के समक्ष वाद भूमि के शासकीय होने की संभावना उत्पन्न हो गई है, एवं चूँकि शासन के हितों का संरक्षण करना उनका दायित्व है, अतः उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता । हॉ, यह जरूर है कि अपर कलेक्टर को पक्षकारों को समुचित पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए इस बिन्दु पर भली भांति परीक्षण करना चाहिए कि कहीं वाद भूमि पर म0 प्र0 शासन का नाम राजस्व अभिलेख में अमल होने में हुए लम्बे विलम्ब या अन्य किसी कारण से तो नहीं आ गया । जो भी हो, अपर कलेक्टर को प्रकरण के इतिहास में जाते हुए, सभी सुसंगत तथ्य समक्ष लाते हुए, पक्षकारों को समुचित अवसर दे, बोलते स्वरूप में निष्कर्ष निकाल कर निर्णय पारित करना चाहिए ताकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हों, जो वह करें ।

5/ इस विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर का आक्षेपित आदेश दिनांक 16–10–12 यथावत रखते हुए, उन्हें उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जाता है ।

आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
पक्षकार एवं अपर कलेक्टर, छतरपुर सूचित हों ।
अभिलेख वापस हो ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर